

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला
भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 93ए/2015 इ.दी.

संस्थित दिनांक : 17.05.2013

1-राधेश्याम आयु 60 वर्ष पुत्र स्व० बृजलाल जाति
वैश्य निवासी वार्ड नं० 11 सदर बाजार गोहद जिला
भिण्ड म.प्र.

— वादी

बनाम

- 1-सुरेशचन्द्र आयु 58 वर्ष पुत्र स्व० बृजलाल जाति
वैश्य निवासी गोहद हाल निवास मकान नं० 391 सुरेश
नगर ठाटीपुर ग्वालियर म.प्र.
- 2-अशोक कुमार आयु 52 वर्ष पुत्र स्व० बृजलाल जाति
वैश्य निवासी गोहद हाल निवास नवादा कॉलोनी
बारादरी मुरार ग्वालियर म.प्र.
- 3-चित्ररेखा आयु 58 वर्ष पत्नी स्व० रामप्रकाश
- 4-सोनू आयु 28 वर्ष
- 5-मोनू आयु 24 वर्ष पुत्रगण स्व० रामप्रकाश जाति
वैश्य निवासी 7-बी भगवान कॉलोनी मुरार ग्वालियर
- 6-म०प्र०राज्य शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड म.प्र.
- 7-प्रेमाबाई पुत्री बृजलाल पत्नी कैलाशनारायण आयु
70 साल निवासी बाबा कपूर की गली वार्ड नं० 7
गोहद जिला भिण्ड
- 8-श्रीमती कुसमा बंसल पुत्री बृजलाल पत्नी
मोहनलाल गुप्ता आयु 60 वर्ष निवासी गांधी नगर
वी-5 पड़ाव ग्वालियर
- 9-लीलादेवी पुत्री बृजलाल(फौत) वारिस
- 9अ-रिन्कीदेवी आयु 30 साल पत्नी राकेश बंसल
निवासी जीवाजीगंज ग्वालियर
- 9ब-श्रीमती बबीता उर्फ पिंगी आयु 28 साल पत्नी
मनीष अग्रवाल निवासी चन्द्रवदनी नाका ग्वालियर
- 9स-अंजनादेवी पत्नी विवेक अग्रवाल आयु 26 साल
शाहजानाबाद आदर्श हॉस्पिटल के सामने भोपाल म.प्र.
- 9द-श्रीमती वर्षा पत्नी गौरव बंसल आयु 25 वर्ष
निवासी शिवहरे कॉलोनी मीरा नगर त्यागी नगर

ग्वालियर

9ई-कु0 शिल्पी पुत्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल निवासी
खासकी बाजार ग्वालियर

— प्रतिवादीगण

(वादी द्वारा-अधिवक्ता श्री एम0एल0 मुदगल)

(प्रतिवादी क्रं0 1, 2 व 7 द्वारा अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा)

(प्रतिवादी क्रं0 3, 4,5,6,8 व 9अ, 9ब, 9स, 9द, 9ई —एकपक्षीय)

निर्णय

(आज दिनांक 31-07-2017 को घोषित)

1. वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादगण के विरुद्ध ग्राम गोहदी तहसील गोहद में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 528 रकवा 1.48 है0 की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 स्वर्गीय बृजलाल के पुत्र होकर सगे भाई हैं। प्रतिवादी क्रमांक 3 वादी के मृत भाई रामप्रकाश की पत्नी है एवं 4 तथा 5 लड़कियां हैं। वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 528 रकवा 1.48 है0 मौजा गोहदी परगना गोहद में स्थित है। उक्त भूमि के बंदोवस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 506 रकवा 0.564 एवं 507 रकवा 1.024 है0 था। उक्त रकवे में वादी का हिस्सा 1/4 है उक्त भूमि के 1/4 भाग का वादी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। जिनके कर्ता वादी के पिता स्व0 बृजलाल थे। वादी के पिता गोहद में सोने चांदी के आभूषण का कार्य करते थे। प्रतिवादी क्रमांक 2 सन 1985 में पढता था। प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाता था तथा वादी भी पिता के साथ दुकान में हाथ बंटाता था। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 का स्वयं का कोई व्यवसाय नहीं था ना ही उनकी स्वतंत्र आय थी। वादी के पिता ने स्वर्णकारी की दुकान से अर्जित आय से बदनसिंह से दिनांक 03.04.1985 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विवादित भूमि 28,000/-रुपये में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के नाम कय की थी। वादी के पिता द्वारा कय की गयी भूमि के वास्तविक मालिक परिवार के सभी सदस्य थे जिनके कर्ता प्रतिवादी के पिता स्व0 बृजलाल थे। वादी के पिता स्व0 बृजलाल की मृत्यु सन 2001 में हो गयी थी। जिसके बाद विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की रही थी। जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण समान रूप से हिस्सेदार हैं। वादी का उक्त भूमि पर 1/4 भाग पर हिस्सा था। वादी के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 तथा वादी का संयुक्त रूप से विवादित भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के मन में बध्यांति आ गयी थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.85 का लाभ उठाते हुए वादी को विवादित जमीन से बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीदी गयी है। दिनांक 26.03.13 को प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने वादी को विवादित जमीन पर जाने से रोका था प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अन्यत्र विक्रय करना चाहते हैं। वादी की सहमति के बिना प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 अन्य

व्यक्तियों से वादग्रस्त भूमि विक्रय करने की बातचीत कर रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर मिताक्षरा विधि में बनारस स्कूल से शासित है जिसके अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को वादी की सहमति के बिना वादी के हिस्से की भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को शीघ्रता से विक्रय करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 को स्थायी रूप से निषेधित किया जावे कि वह बिना बंटवारा कराये विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि से वादी का कोई संबंध नहीं है। क्रय दिनांक से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है उक्त भूमि प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.04.85 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बदनसिंह से क्रय की थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि अपनी पत्नी के स्त्रीधन तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 ने ट्यूशन करके ट्यूशन से प्राप्त आय से क्रय की थी तथा क्रय दिनांक से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 विवादित भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी थे। वादी तथा प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीदने के लिए कोई रकम नहीं दी गयी थी। प्रतिवादीगण के नाम बेनामी संव्यवहार नहीं हुआ था। बृजलाल की मृत्यु पश्चात वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा स्वयं खरीदी गयी है एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि का उपयोग एवं अंतरण करने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 दिनांक 30.04.85 से वादग्रस्त भूमि पर काबिज हैं। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः निरस्ती योग्य है।
4. प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि विवादग्रस्त संपत्ति स्वअर्जित आय से क्रय की गयी संपत्ति है। जिससे वादी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 2 अल्प आयु में ही आय अर्जित करने के लिए एवं आगे की शिक्षा नियमित रखने के लिए ट्यूशन करने लगा था तथा ट्यूशन से जो आय होती थी वह प्रतिवादी क्रमांक 2 की व्यक्तिगत आय थी तथा इस अर्जित आय से प्रतिवादी क्रमांक 2 ने विवादित संपत्ति क्रय की थी। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं आय अर्जित की जाती थी एवं समय-समय पर प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा अपने पिता की आर्थिक मदद भी की गयी थी। वादी कोई आय अर्जित नहीं करता था। वादी ने कई लोगों से रुपये उधार ले रखे थे जिन्हें प्रतिवादी क्रमांक 2 के पिता ने प्रतिवादी क्रमांक 2 से लेकर चुकाया था। वादी गलत आधार देकर संपत्ति का लाभ प्राप्त करना चाहता है। वादी असत्य आधारों पर माता पिता के नाम की संपत्तियां विक्रय कर चुका है। वादी अपने हिस्से से अधिक संपत्ति ले चुका है तथा बेचकर धनराशि अर्जित कर चुका है। वादी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए झगड़ालू एवं आपराधिक व्यक्तियों को पावर ऑफ अटार्नी देकर संपत्ति हड़पने का प्रयास किया है। विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा स्वयं खरीदी गयी है। वादी ने प्रतिवादीगण के हिस्से की जमीन हड़पने के उद्देश्य से झूठा दावा पेश किया है। वादी ने पूर्व में भी असत्य आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संपत्तियों के बारे में गलत जवाब दिया था। वादी प्रतिवादी क्रमांक 2 के चाचा रामकरन एवं प्रतिवादी के चचेरे भाई भगवानदास तथा रामकांत से मिलकर संपत्ति हड़पने के लिए हमेशा से प्रयासरत रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 2 हमेशा से आय अर्जित करता रहा है एवं वादी प्रतिवादी क्रमांक 2 के पिता पर आश्रित रहा है। वादी ने पिता के जीवनकाल में किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं

निभाया था। वादी एवं उसका परिवार हमेशा से ही विलासितापूर्ण जीवन जीने का आदी रहा है तथा अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए अवैधानिक रूप से चल एवं अचल संपत्तियों का विक्रय करता रहा है। वादी द्वारा गलत सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि निरस्ती योग्य है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। शेष प्रतिवादीगण क्रमांक 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9अ, 9ब, 9स, 9द, 9ई के तामील उपरांत उपस्थित न होने के कारण उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
6. उपरोक्त अभिवनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किए गए हैं जिनके निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित हैं।

वादप्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या भूमि सर्वे क्रमांक 528 रकवा 1.48 स्थित ग्राम गोहदी परगना गोहद की भूमि वादी के पिता द्वारा बेनामी संव्यवहार के जरिये प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम से दिनांक 30.04.1985 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की थी ?
2. क्या विवादित भूमि में वादी 1/4 का हिस्सेदार होकर भूमि का स्वामी व मालिक है ?
3. क्या वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की संयुक्त खेती हो रही है ?
4. क्या भूमि सर्वे क्रमांक 912 रकवा 0.293 स्थित गोहद का वादी के पिता द्वारा वादी के नाम से क्रय किया था ?
5. क्या गोहद के वार्ड नं0 2 में 20X25 वर्गफीट का प्लॉट वादी एवं प्रतिवादी के नाम में 13.07.1965 को वादी के पिता द्वारा क्रय किया था ?
6. क्या सती बाजार गोहद में एक दुकान दिनांक 23.07.1987 को तथा एक मकान वादी के नाम से प्रतिवादी क्रमांक 2 के पिता द्वारा क्रय किया था ?
7. क्या विवादित संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति है ?
8. सहायता एवं वाद व्यय ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1, 2 एवं 7

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त वादप्रश्नों के संबंध में वादी राधेश्याम वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 506 रकवा 0.564 है0 एवं सर्वे क्रमांक 507 रकवा 1.024 है0 कुल रकवा 1.588 है0 मौजा गोहदी परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित है। उक्त भूमि का बंदोवस्त के पश्चात सर्वे क्रमांक 528 रकवा 1.48 है0 है उक्त रकवे में वादी 1/4 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं जिनके कर्ता वादी के पिता स्व0 बृजलाल हैं। वादी के पिता गोहद में ही सोने-चांदी के आभूषणों का कार्य करते थे एवं सन् 1985 में प्रतिवादी क्रमांक 2 पढ़ता था तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाता था। वादी भी पिता के साथ दुकान में हाथ बंटाता था प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 का अपना कोई प्रथक धंधा नहीं था एवं उनकी कोई स्वअर्जित आय नहीं थी। वादी के पिता ने स्वर्णकारी की दुकान से अर्जित आय से विवादित भूमि बदनसिंह से दिनांक 30.04.1985 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा तेईस हजार रुपये में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के नाम से कय की थी वादी के पिता द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के नाते उक्त संपत्ति बेनामी कय की गयी थी जबकि इसके वास्तविक मालिक परिवार के सभी सदस्य थे जिनके कर्ता वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व0 बृजलाल थे। वादी के पिता स्व0 बृजलाल की मृत्यु वर्ष 2001 में हो गयी थी जिसके पश्चात विवादित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण का बराबर-बराबर अर्थात् 1/4-1/4 भाग पर हक था। वादी के पिता की मृत्यु के बाद से वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से खेती करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के मन में बदनीयती आ गयी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.85 का लाभ उठाते हुए वादी को विवादित भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। जबकि वादी विवादित भूमि के 1/4 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी राधेश्याम वा0सा01 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में विवादित भूमि के वर्ष 2012-13 के कम्प्यूटरीकृत खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-3, विक्रय पत्र दिनांक 30.04.85 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-4 एवं दुकान के खाते की कॉपी प्र0पी-5 प्रकरण में प्रस्तुत की हैं।
9. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त खेत पर बंदोवस्त के पहले अथवा बंदोवस्त के बाद कभी भी उसका नाम राजस्व कागजातों में भूमि स्वामी के रूप में नहीं रहा है एवं व्यक्त किया है कि उसका कब्जा रहा है उसका कब्जा करीबन 30 वर्ष से है। पद क्रमांक 12 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि 30 वर्ष से लेकर आज तक वादग्रस्त भूमि के कब्जे के संबंध में उसके पास कोई कागजात नहीं है वह किसानों से खेती करवाता रहा है उसने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि उसने उगाही पर खेती कराई है। पद क्रमांक 13 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह उगाही पर खेत देता था उनकी सभी की लिखापढी करता था एवं वह लिखापढी उसके घर पर रखी है। पद क्रमांक 14 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि विवादित खेत वह लगान पर लगाता है। वह प्रतिवादीगण की अनुमति से लगान पर जोतने के लिए खेत लगाता था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जमीन उसके नाम पर नहीं है उसके पिता ने खरीदी थी। पद क्रमांक 15 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी-4 के विक्रय पत्र के अनुसार संपूर्ण वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी सुरेशचन्द्र एवं अशोक कुमार ने बदनसिंह से खरीदी है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी-4 के विक्रय पत्र में संपूर्ण वादग्रस्त भूमि बदनसिंह द्वारा सुरेश कुमार, अशोक कुमार को विक्रय करने एवं कब्जा दिए जाने का उल्लेख है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी-4 के विक्रय पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि जमीन खरीदने के लिए रुपये उसके पिता ने दिए थे। पद क्रमांक 18 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसकी

दुकान बृजलाल एवं अशोक कुमार के नाम से पंजीकृत थी जिसका उसके पास पंजीयन नंबर भी था। पद क्रमांक 21 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्र0पी-5 की किताब के पृष्ठ क्रमांक 12 पर बदनसिंह की लिखापट्टी का उल्लेख है। पृष्ठ क्रमांक 12 में जितनी भी प्रविष्टियां हैं वह सब बदनसिंह को रुपये देने के संबंध में हैं।

10. वादी साक्षी रामप्रकाश वा0सा02 द्वारा भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में शपथपत्र पेश किया गया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि रुपयों का लेनदेन उसके सामने रजिस्टार कार्यालय के अंदर हुआ था रुपये बृजलाल ने विद्याराम को दिए थे विद्याराम ने जमीन बेची थी। विक्रय पत्र में सुरेशचन्द्र द्वारा रुपये दिया जाना नहीं लिखा है सुरेशचन्द्र ने रुपये नहीं दिए थे। उसके सामने विक्रय पत्र टाइप नहीं हुआ था। पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि विक्रय पत्र के बाद में उसे सिर्फ इतनी जानकारी है कि बृजलाल ने जमीन खरीदी थी और बृजलाल ने दुकान से पैसे लाकर दिए थे। उसने विक्रयपत्र को आज तक नहीं देखा है।
11. प्रतिवादी सुरेशचन्द्र प्र0सा01 ने वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि वादी वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त संपत्ति नहीं है तथा वादी के पिता बृजलाल के द्वारा खरीदी गयी भूमि नहीं है। विवादित भूमि के प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 समान भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं उक्त भूमि प्रतिवादीगण ने बदनसिंह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 30.04.85 को खरीदी थी एवं उक्त दिनांक को ही बदनसिंह ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दे दिया था तभी से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का अधिपत्य है एवं प्रतिवादीगण की खेती हो रही है। वादग्रस्त भूमि को खरीदने के लिए वादी के पिता बृजलाल ने कभी कोई रुपये बदनसिंह को नहीं दिए हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 ने ट्यूशन से प्राप्त आय से तेईस हजार रुपये प्रतिफल देकर बदनसिंह से भूमि क़य की थी। राजस्व कागजातों में भी प्रतिवादीगण का विधिवत इन्द्राज है। विवादित भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गयी भूमि नहीं है।
12. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता ने सर्वे क्रमांक 21, 22, 344, 18, 19, 912 की जमीनें एवं गोहद ग्वालियर में मकान, दुकान खरीदे थे तथा यह भी स्वीकार किया है कि इन सब प्रॉपर्टी का पैसा उसके पिता की दुकान का था। पद क्रमांक 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 1985 से पहले सभी भाइयों का खर्च दुकान की आमदनी से ही चलता था। पद क्रमांक 11 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि सन 1985 में अशोक का खर्चा दुकान की आमदनी से चलता था एवं स्पष्ट किया है कि वह ट्यूशन भी करता था।
13. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि वादी का संयुक्त हिन्दू परिवार है एवं वादी तथा उसके सभी भाइयों के खर्च दुकान की आमदनी से चलते थे एवं संयुक्त परिवार की दुकान से वादी के पिता ने प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के नाम से विवादित जमीन क़य की थी। प्रतिवादी के पास विवादित संपत्ति खरीदने के लिए प्रथक से कोई व्यवसाय नहीं था। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में न्यायदृष्टांत मांगीलाल विरुद्ध हेमराज एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1998(2)147 प्रस्तुत किया है। सामान्यतः यह उपधारणा की जायेगी कि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त संपत्ति से प्राप्त आय से क़य की गयी है। यदि कोई सदस्य उक्त संपत्ति के स्वयं अर्जित किए जाने का दावा करता है तो उक्त तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। वादी द्वारा उक्त बिन्दु पर न्यायदृष्टांत पुन्नूलाल विरुद्ध परदेशी

1985 नोट नं० 570 एवं न्यायदृष्टांत ओमप्रकाश विरुद्ध रामस्वरूप 2011(1) एम.पी.एल.जे. 264 भी प्रस्तुत किया गया है।

14. तर्क के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति स्वअर्जित आय से क्रय की गयी थी। वादी ने उक्त वाद काउन्टर ब्लास्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रथमतः यह सिद्ध करने का भार वादी पर था कि विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति है उसके पश्चात प्रतिवादी पर यह भार आता है कि वह यह सिद्ध करे कि उक्त संपत्ति प्रतिवादीगण ने अपनी स्व अर्जित आय से क्रय की थी। वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है। प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में न्यायदृष्टांत श्रीनिवास कृष्णराव कांगो विरुद्ध नारायणदेवजी कांगो ए.आई.आर. 1954 सु.को. 379 एवं न्यायदृष्टांत अप्पा साहेब पीरप्पा चांदगडे विरुद्ध देवेन्द्र पीरप्पा चांदगडे और अन्य ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 218 प्रस्तुत किया है।
15. प्रस्तुत प्रकरण में वादी राधेश्याम वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त जमीन वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता बृजलाल ने प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के नाम पर प्र0पी-4 के विक्रय पत्र द्वारा बेनामी रूप से क्रय की थी। उक्त भूमि क्रय करने के लिए प्रतिफल वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता बृजलाल द्वारा दिया गया था। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति है जिसके 1/4 भाग का वादी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उनके द्वारा स्वअर्जित आय से बदनसिंह से क्रय की गयी थी। इस प्रकार वादी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त संपत्ति के लिए प्रतिफल वादी के पिता बृजलाल द्वारा दिया गया था परन्तु इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी-4 के विक्रय पत्र में नहीं है। प्र0पी-4 के विक्रय पत्र में विक्रेता बदनसिंह से क्रेता सुरेशचन्द्र एवं अशोक कुमार द्वारा विवादित भूमि तेईस हजार रुपये में क्रय करने का उल्लेख है एवं विक्रय पत्र के पृष्ठ क्रमांक 2 के पृष्ठ भाग पर यह उल्लिखित है कि तेईस हजार रुपये प्रतिवादी सुरेशचन्द्र द्वारा दिए गए। प्र0पी-4 के विक्रय पत्र में कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि क्रय करने के लिए बदनसिंह को प्रतिफल वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व0 बृजलाल द्वारा दिया गया था। वादी द्वारा प्रकरण में प्र0पी-5 पुस्तिका पेश कर व्यक्त किया गया है कि उक्त पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 12 बदनसिंह की लिखापट्टी से संबंधित है एवं पृष्ठ क्रमांक 12 में बदनसिंह को खेत के लिए पांच हजार रुपये दिए जाने का उल्लेख है। वादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्र0पी-5 की पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 12 में जो भी प्रविष्टियां अंकित हैं वह बदनसिंह को विक्रय पत्र दिनांक 30.04.85 द्वारा खरीदे गये खेत के लिए दी गयी हैं। प्र0पी-5 की खाता पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 12 में जो दो मोहरें खंगवारी, चांदी के कलदार, पाजेव, करधौनी, कढ़े आदि जो बदनसिंह को दिए जाने का उल्लेख है वह सब दिनांक 30.04.85 को खरीदे गये खेत के लिए दिए गए थे।
16. इस प्रकार वादी राधाकिशन वा0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्र0पी-5 की पुस्तिका में बदनसिंह को जो भी पैसे, मोहरे खंगवारी इत्यादि दिए जाने का उल्लेख है वह प्र0पी-4 के विक्रय पत्र द्वारा क्रय किए गए खेत के लिए दिया गया है परन्तु प्र0पी-5 की पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 12 में यह उल्लिखित नहीं है कि बदनसिंह को उक्त राशि एवं सोने-चांदी की वस्तुएं दिनांक 30.04.85 को क्रय किए गए खेत के लिए दी गयी हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी राधाकिशन वा0सा01 द्वारा स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया गया है कि बदनसिंह को प्र0पी-5 की पुस्तिका

पृष्ठ क्रमांक 12 में वर्णित अनुसार कयशुदा खेत के पैसे दिए गए थे परन्तु प्र0पी-4 के विक्रय पत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि बदनसिंह को कयशुदा संपत्ति के प्रतिफल के रूप में पांच हजार रुपये की राशि एवं सोने-चांदी की वस्तुएं, मोहर, खंगवारी इत्यादि दी गयी हैं। प्र0पी-4 के विक्रय पत्र में प्रतिवादी सुरेशचन्द्र द्वारा तेईस हजार रुपये नगद दिए जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में वादी का यह अभिवचन कि बदनसिंह को प्र0पी-4 में कयशुदा खेत के एवज में प्र0पी-5 की पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 12 में वर्णित अनुसार प्रतिफल दिया गया था सत्य नहीं है।

17. जहां तक वादी साक्षी रामप्रकाश वा0सा02 के कथन का प्रश्न है तो वादी साक्षी रामप्रकाश वा0सा02 ने अपने शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि बृजलाल ने कचहरी में रजिस्टार के सामने तेईस हजार रुपये दिए थे एवं सुरेशचन्द्र तथा अशोक कुमार के नाम से बयनामा कराया था। इस प्रकार रामप्रकाश वा0सा02 ने अपने शपथपत्र में तेईस हजार रुपये नगद देना बताया है जबकि वादी राधेश्याम वा0सा01 ने प्र0पी-5 की पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 12 में वर्णित अनुसार राशि एवं सोने-चांदी की वस्तुएं प्र0पी-4 के विक्रय पत्र के एवज में बदनसिंह को देना बताया है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर वादी राधेश्याम वा0सा01 एवं वादी साक्षी रामप्रकाश वा0सा02 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। इसके अतिरिक्त वादी साक्षी रामप्रकाश वा0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि विद्याराम ने जमीन बेची थी एवं बृजलाल ने विद्याराम को रुपये दिए थे तथा बृजलाल ने दुकान से पैसे लाकर विद्याराम को दिए थे। इस प्रकार उक्त साक्षी विद्याराम से वादग्रस्त जमीन क्रय करना बताता है एवं बृजलाल द्वारा विद्याराम को पैसे देना बताता है जबकि प्र0पी-4 के विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त जमीन बदनसिंह से क्रय की गयी है। अतः वादी साक्षी रामप्रकाश वा0सा02 के कथनों से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षी को वादग्रस्त भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसके द्वारा वादी से हितबद्ध होने के कारण वादी के अभिवचनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी सुरेशचन्द्र प्र0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 6, 7, एवं 9 में यह स्वीकार किया है कि उसका संयुक्त हिन्दू परिवार एवं उसके पिताजी की सोने-चांदी की दुकान थी तथा उसके पिता ने ग्वालियर एवं गोहद में कई मकान एवं दुकानें खरीदी थी तथा 1985 के पहले सभी भाइयों के खर्चे दुकान की आमदनी से ही चलते थे ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि के लिए प्रतिफल दुकान की आये से ही दिया गया था परन्तु वादी अधिवक्ता यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से वादग्रस्त जमीन क्रय किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है परन्तु इसका लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है। प्रारंभिक तौर पर यह साबित करने का भार पूर्णतः वादी पर था कि वह यह साबित करता कि वादग्रस्त जमीन संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गयी थी इसके पश्चात ही खण्डन का भार प्रतिवादीगण पर आता। वादी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि वादग्रस्त भूमि के लिए प्रतिफल वादी के पिता द्वारा स्वर्णकारी की दुकान से दिया गया था। वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी के पिता की सोने-चांदी की दुकान थी तथा यह भी व्यक्त किया गया है कि उक्त दुकान बृजलाल एवं अशोक कुमार के नाम से फर्म के रूप में पंजीकृत थी परन्तु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई प्रमाण कोई दस्तावेज फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वादी द्वारा दुकान की आय के संबंध में भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वादी द्वारा दुकान की लिखापट्टी के संबंध में मात्र प्र0पी-5 की कॉपी पेश की गयी है परन्तु

प्र0पी-5 की कॉपी खाताबही नहीं है। वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सोने चांदी की दुकान से कितनी आय होती थी। वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य, कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जहां तक प्रतिवादी के इस स्वीकारोक्ति का प्रश्न है कि उसके पिता सोने-चांदी की दुकान करते थे एवं उसके पिता ने ग्वालियर एवं गोहद में कई मकान, दुकान खरीदे थे तथा सभी भाइयों के खर्च 1985 के पहले दुकान की आमदनी से चलते थे। तो उक्त स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्र0पी-4 के विक्रयपत्र द्वारा कयशुदा संपत्ति के लिए प्रतिफल सोने-चांदी की दुकान से दिया गया था।

19. वादी राधेश्याम वा0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के स्वामी वादी एवं प्रतिवादीगण थे तथा वर्ष 2001 में पिता की मृत्यु के बाद वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार वादी राधेश्याम वा0सा01 ने वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर अपना आधिपत्य होना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि पिता की मृत्यु के उपरांत वह वादग्रस्त भूमि पर खेती कर रहा है परन्तु उक्त संबंध में भी कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो प्र0पी-3 का खसरा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें भी कॉलम नंबर 3 में प्रतिवादी सुरेश कुमार एवं अशोक कुमार का नाम अंकित है। प्र0पी-3 के खसरे में वादी का नाम आधिपत्यधारी के रूप में अंकित नहीं है। वादी राधेश्याम वा0सा01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वह उगाही पर खेती कराता था तथा वह जब से विवादित खेत खरीदा गया है तब से वह पूरा खेत लगान पर लगाता था परन्तु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य, कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वादी ने बदनसिंह कुशवाह, लज्जाराम, सुरेश एवं धांधू से उगाही पर खेती कराना बताया है परन्तु वादी द्वारा उक्त लोगों उक्त संबंध में परीक्षित नहीं कराया गया है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, ऐसा कोई प्रमाण, ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादी ने कभी वादग्रस्त भूमि का लगान जमा किया हो अथवा वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य हो। जो तथ्य दस्तावेज से साबित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के माध्यम से ही साबित करना चाहिए। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया है परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य दर्शित हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य भी प्रमाणित नहीं है।
20. वादी द्वारा तर्क के दौरान प्रकरण में न्यायदृष्टांत मांगीलाल विरुद्ध हेमराज 1998(2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 147 प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति के संबंध में यह उपधारणा की जायेगी कि उक्त संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की है तथा यह साबित करने का भार कि उक्त संपत्ति स्वअर्जित है उस व्यक्ति पर होगा जो यह दावा करता है। वादी द्वारा उक्त बिन्दु पर न्यायदृष्टांत पुन्नूलाल विरुद्ध परदेशी 1985 एम.पी.डब्ल्यू.एन.570 भी प्रस्तुत किया गया है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि वादग्रस्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता बृजलाल ने प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के लिए सोने-चांदी की दुकान से प्राप्त आय से कय की थी ऐसी स्थिति में परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण उक्त न्यायदृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता है।
21. वादी द्वारा प्रकरण में न्यायदृष्टांत ओमप्रकाश विरुद्ध राम और अन्य 2011(1) एम.पी.एल.जे. प्रस्तुत किया गया है जिसमें संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की फर्म के रहने के दौरान खरीदी गयी संपत्तियां संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की मानी गयी थीं। परन्तु प्रस्तुत

प्रकरण में आई साक्ष्य से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा उनके पिता स्व० बृजलाल द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति की आय से प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के लिए क़य की गयी थी वादी द्वारा स्वर्णकारी की दुकान से कितनी आय होती थी उक्त संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी द्वारा मकान का पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य भी दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है एवं परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण उक्त न्यायदृष्टांत भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त संपत्ति क़य करने के लिए प्रतिफल वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता स्व० बृजलाल द्वारा दिया गया था एवं यह भी व्यक्त किया गया है कि स्व० बृजलाल ने प्र०पी-5 की पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 12 के अनुसार विक्रेता बदनसिंह को प्रतिफल दिया था। वादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया है कि बदनसिंह को प्र०पी-5 की पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 12 के अनुसार प्र०पी-4 के विक्रय पत्र द्वारा क़यशुदा भूमि के बदले में पांच हजार रुपये नगद एवं दो मोहरे खंगवारी, चांदी के कलदार, पाजेव, करधौनी, कढ़े इत्यादि दिए गए थे परन्तु इस तथ्य का उल्लेख प्र०पी-4 के विक्रय पत्र में नहीं है। प्र०पी-4 के विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता बदनसिंह को तेईस हजार रुपये नगद दिए गए थे। प्र०पी-4 के विक्रय पत्र से यह दर्शित नहीं होता है कि विक्रेता बदनसिंह को विक्रीत भूमि के बदले पांच हजार रुपये नगद एवं सोने चांदी के जेवर दिए गए थे। वादी द्वारा उक्त संबंध में विक्रेता बदनसिंह को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। उक्त तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सबसे सर्वोत्तम साक्षी बदनसिंह था परन्तु वादी द्वारा उक्त तथ्य के संबंध में बदनसिंह को परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का यह अभिवचन कि वादग्रस्त भूमि के लिए प्रतिफल वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता स्व० बृजलाल द्वारा दिया गया था सत्य नहीं है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से संभावनाओं की प्रबलता यही इंगित करती है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा स्वअर्जित आय से क़य की गयी है।

23. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी पत्नी के स्त्रीधन से एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 ने ट्यूशन से प्राप्त आय से क़य की थी। परन्तु वादी का यह तर्क उचित नहीं है। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई विशिष्ट साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है परन्तु प्रकरण में यह साबित करने का प्रारम्भिक भार वादी पर था कि वादग्रस्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व० बृजलाल द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति से प्राप्त आय से क़य की गयी थी इसके पश्चात ही खण्डन का भार प्रतिवादीगण पर था। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी की कमी का लाभ वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता है एवं उक्त तर्क से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त संपत्ति सर्वे क्रमांक 528 रकवा 1.48 है० वादी के पिता द्वारा बेनामी संव्यवहार के जरिये प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के नाम से क़य की गयी थी। वादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि वह वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग का स्वत्वधारी है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न क्रमांक-3

25. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 528 रकबा 1.48 है० के 1/4 भाग का वह स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तथा अपने पिता स्व० बृजलाल की मृत्यु उपरांत वर्ष 2001 से वह प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के साथ विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से खेती करता चला आ रहा है परन्तु उक्त संबंध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। जो तथ्य दस्तावेज से प्रमाणित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के माध्यम से ही प्रमाणित करना चाहिए। वादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य, ऐसा कोई दस्तावेज, खसरा, खतौनी इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य दर्शित हो। वादी द्वारा जो प्र०पी-3 का खसरा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें भी वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना दर्शित नहीं है। वादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य हो एवं वादी की प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के साथ संयुक्त खेती हो रही हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य भी प्रमाणित नहीं है। अतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न क्रमांक-4, 5 एवं 6

26. उक्त वादप्रश्नों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भूमि सर्वे क्रमांक 912 एवं गोहद के वार्ड नं० 2 में स्थित प्लॉट तथा सती बाजार गोहद में स्थित दुकान प्रकरण में विवादित नहीं है। उक्त वादप्रश्न प्रकरण में विवादित भूमि से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त वादप्रश्नों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक नहीं है।

सहायता एवं व्यय

27. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।
28. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा।
29. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान— गोहद

दिनांक— 31-07-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अति०व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अति०व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)